कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)

कमांक/स्था.वि./ 495 /2016 रायपुर, दिनांक 23 .09.2016

:: संशोधित आदेश ::

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., में सहायक प्रबंधक एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 13.09.2015 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त प्राविण्य सूची के आधार पर छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर द्वारा सहायक लेखाधिकारी एवं सहायक प्रबंधकों के रिक्त रह गये पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 17.08.2016 को अभ्यर्थियों की कांउसिलिंग आयोजित किया गया। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त प्राविण्य सूची एवं अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की कांउसिलिंग के आधार पर सहायक प्रबंधक के पद पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को वेतनमान रूपये 9,300–34,800+ग्रेड वेतन 4,200/– प्रतिमाह एवं विपणन संघ द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता पर अस्थाई रूप से पूर्व में जारी नियुक्ति आदेश कमांक/स्था.वि/484/2016/रायपुर दिनांक 19.09.2016 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किया जाता है –

क.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	चयन का वर्ग	निवास पता
1	2	3	4	5	6
1	श्री अमित कुमार चंद्राकर	श्री नंद कुमार चंद्राकर	अ.पि.व (मुक्त संवर्ग)	अनारक्षित मुक्त संवर्ग	मकान नं. – 23, ग्राम व पो. खम्हरियां जिला महासमुंद (छ.ग.) पिन. 493445
2.	श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा	श्री भोलानाथ विश्वकर्मा	अ.पि.व (मुक्त संवर्ग)	अनारक्षित (मुक्त संवर्ग)	शिवधारी कॉलोनी पो. ऑफिस अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.) पिन. 497001
3.	श्री लुकेश बैस	श्री मेहरबान सिंह बैस	अनारक्षित (मुक्त संवर्ग)	अनारक्षित (मुक्त संवर्ग)	36/517 फव्वारा चौक बैरन बाजार रायपुर (छ.ग.) पिन. 492001
4.	श्री सुशील कुमार	श्री पूरन सिंह	अनारक्षित (सैनिक संवर्ग)	अनारक्षित (सैनिक संवर्ग)	ग्राम डेंगरापारा, पो. कोबा व्हाया मालीघोरी बालोद जिला बालोद (छ.ग.)
5.	श्री भौमिक बघेल	श्री मोहन बघेल	अ.पि.व (मुक्त संवर्ग)	अ.पि.व (मुक्त संवर्ग)	विशाल हार्डवेयर के बाजू, रायपुरा चौक डंगनिया रायपुर (छ.ग.) पिन 492013
6.	श्री कौशलेष कुमार देवांगन	श्री विजय कुमार देवांगन	अ.पि.व (मुक्त संवर्ग)	अ.पि.व (मुक्त संवर्ग)	मुकाम व पोस्ट राहौद, व्हाया खरौद, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिन. 495556
7.	श्री राजेन्द्र कुमार ध्रुव	श्री फुलसिंह ध्रुव	अ.ज.जा. (मुक्त संवर्ग)	अ.ज.जा. (मुक्त संवर्ग)	ग्राम लटियारा पो. सेमरा तह. नगरी जिला धमतरी (छ.ग.)

क्रमशः.....2

चयनित उम्मीदवार दिनांक 30.09.2016 दिन शुक्रवार तक विपणन संघ के मुख्यालय 880 सिविल लाईन्स रायपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त नियुक्तियां निम्न प्रतिबंधों के आधार पर की जाती है –

(1.) उम्मीदवार की सेवाएं, संघ के कर्मचारी सेवानियम अनुसार शासित होगी।

(2.) ये नियुक्तियां प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेगी। परीवीक्षा में कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनकी सेवाएं बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

(3.) शारीरिक रूप से स्वस्थ होने संबंधी जिले के सिविल सर्जन का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही उन्हें कार्य पर उपस्थित कराया जा सकेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र में अनुपयुक्त पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

(4.) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति के समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का भी उल्लेख हो, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी विकलांग प्रमाण पत्र, भुतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, उच्चत्तर आयु में छूट प्रमाण पत्र आदि की स्वसत्यापित छायाप्रति एवं उक्त उम्मीदवारों के अन्यत्र कार्यरत् होने की स्थिति में संबंधित विभाग से प्राप्त कार्यमुक्ति आदेश उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(5.) कांउसिलिंग प्रतिवेदन दिनांक 17.08.2016 में अस्पष्ट दर्शाए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्रमाणित/स्पष्टीकरण के लिए भेजे गये है। अतः इन्हें इस शर्त पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है कि यदि संबंधित विभाग से कोई विपरीत टीप प्राप्त होती है तो उनकी नियुक्तियां निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(6.) सेवा के संबंध में कम से कम तीन वर्ष अनिवार्यतः सेवा में रहने संबंधी रूपये 50,000 (पचार हजार रू.) का बांड भरना आवश्यक होगा। बांड का प्रारूप संलग्न है जिसे रूपये 50.00 (पचास रू.) के नान ज्यूडिशियल स्टांप में अंकित कराकर नोटरी से सत्यापित कराकर जमा करना अनिवार्य होगा।

(7.) उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी किसी भी समय किसी भी स्तर पर गलत पायी जाती है तो उनकी सेवाए बिना कोई सूचना दिये अविलंब समाप्त की जा सकेगी। तथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

क्रमशः.....3

(8.) संघ द्वारा प्रत्येक चयनित उम्मीदवार का चरित्र संबंधी पुलिस सत्यापन कराया जावेगा, सत्यापन में विपरीत टीप पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

(9.) यह नियुक्तियां माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

(10.) विकलांग संवर्ग में विकलांग उम्मीदवारों का चयन शासन के नियमानुसार 40 प्रतिशत् एवं 40 प्रतिशत् से अधिक स्थायी विकलांगता के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

:: प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित ::

(एन.के.सिंह)
सचिव
(विपणन संघ)

पृ. कमांक/स्था.वि./ 495 **/2016** **रायपुर, दिनांक** 23**.09.2016**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय अध्यक्ष छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर के निज सहायक को अध्यक्ष महोदय के ध्यानार्थ।
2. पंजीयक सहकारी संस्थाए, रायपुर को सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक के निज सहायक को प्रबंध संचालक महोदय के ध्यानार्थ।
4. महाप्रबंधक (समस्त), मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
5. मुख्यलेखाधिकारी मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
6. प्रबंधक (स्थापना/राईस मिलें/अन्य प्रकिया/भंडारण/विपणन), मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
7. श्री .... को सूचनार्थ एवं आदेश पालनार्थ।
8. लेखाधिकारी/वेतन देयक/भविष्य निधि/मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
9. व्यक्तिगत नस्ति हेतु।

सचिव
(विपणन संघ)